

Signature and Name of Invigilator

1. (Signature) \_\_\_\_\_

(Name) \_\_\_\_\_

2. (Signature) \_\_\_\_\_

(Name) \_\_\_\_\_

Roll No. 

--	--	--	--	--	--	--	--

  
(In figures as per admission card)

Roll No. \_\_\_\_\_  
(In words)

Test Booklet No. \_\_\_\_\_

**J-5508**

**PAPER-III**

**Time : 2½ hours]**

**LABOUR WELFARE**

**[Maximum Marks : 200**

**Number of Pages in this Booklet : 40**

**Number of Questions in this Booklet : 26**

**Instructions for the Candidates**

1. Write your roll number in the space provided on the top of this page.
2. Answers to short answer/essay type questions are to be given in the space provided below each question or after the questions in the Test Booklet itself.  
**No Additional Sheets are to be used.**
3. At the commencement of examination, the question booklet will be given to you. In the first 5 minutes, you are requested to open the booklet and compulsorily examine it as below :
  - (i) To have access to the Test Booklet, tear off the paper seal on the edge of this cover page. Do not accept a booklet without sticker-seal and do not accept an open booklet.
  - (ii) **Tally the number of pages and number of questions in the booklet with the information printed on the cover page. Faulty booklets due to pages/questions missing or duplicate or not in serial order or any other discrepancy should be got replaced immediately by a correct booklet from the invigilator within the period of 5 minutes. Afterwards, neither the question booklet will be replaced nor any extra time will be given.**
4. Read instructions given inside carefully.
5. One page is attached for Rough Work at the end of the booklet before the Evaluation Sheet.
6. If you write your name or put any mark on any part of the Answer Sheet, except for the space allotted for the relevant entries, which may disclose your identity, you will render yourself liable to disqualification.
7. You have to return the Test booklet to the invigilators at the end of the examination compulsorily and must not carry it with you outside the Examination Hall.
8. **Use only Blue/Black Ball point pen.**
9. **Use of any calculator or log table etc. is prohibited.**
10. **There is NO negative marking.**

**परीक्षार्थियों के लिए निर्देश**

1. पहले पृष्ठ के ऊपर नियत स्थान पर अपना रोल नम्बर लिखिए।
2. लघु प्रश्न तथा निबंध प्रकार के प्रश्नों के उत्तर, प्रत्येक प्रश्न के नीचे या प्रश्नों के बाद में दिये हुये रिक्त स्थान पर ही लिखिये।  
**इसके लिए कोई अतिरिक्त कागज का उपयोग नहीं करना है।**
3. परीक्षा प्रारम्भ होने पर, प्रश्न-पुस्तिका आपको दे दी जायेगी। पहले पाँच मिनट आपको प्रश्न-पुस्तिका खोलने तथा उसकी निम्नलिखित जाँच के लिए दिये जायेंगे जिसकी जाँच आपको अवश्य करनी है :
  - (i) प्रश्न-पुस्तिका खोलने के लिए उसके कवर पेज पर लगी सील को फाड़ लें। खुली हुई या बिना स्टीकर-सील की पुस्तिका स्वीकार न करें।
  - (ii) कवर पृष्ठ पर छपे निर्देशानुसार प्रश्न-पुस्तिका के पृष्ठ तथा प्रश्नों की संख्या को अच्छी तरह चैक कर लें कि ये पूरे हैं। दोषपूर्ण पुस्तिका जिनमें पृष्ठ/प्रश्न कम हों या दुबारा आ गये हों या सीरियल में न हों अर्थात् किसी भी प्रकार की त्रुटिपूर्ण पुस्तिका स्वीकार न करें तथा उसी समय उसे लौटाकर उसके स्थान पर दूसरी सही प्रश्न-पुस्तिका ले लें। इसके लिए आपको पाँच मिनट दिये जायेंगे। उसके बाद न तो आपकी प्रश्न-पुस्तिका वापस ली जायेगी और न ही आपको अतिरिक्त समय दिया जायेगा।
4. अन्दर दिये गये निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
5. उत्तर-पुस्तिका के अन्त में कच्चा काम (Rough Work) करने के लिए मूल्यांकन शीट से पहले एक पृष्ठ दिया हुआ है।
6. यदि आप उत्तर-पुस्तिका पर अपना नाम या ऐसा कोई भी निशान जिससे आपकी पहचान हो सके, किसी भी भाग पर दर्शाते या अंकित करते हैं तो परीक्षा के लिये अयोग्य घोषित कर दिये जायेंगे।
7. आपको परीक्षा समाप्त होने पर उत्तर-पुस्तिका निरीक्षक महोदय को लौटाना आवश्यक है और इसे परीक्षा समाप्ति के बाद अपने साथ परीक्षा भवन से बाहर न लेकर जायें।
8. केवल नीले / काले बाल प्वाइंट पेन का ही इस्तेमाल करें।
9. किसी भी प्रकार का संगणक (कैलकुलेटर) या लाग टेबल आदि का प्रयोग वर्जित है।
10. गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटे जायेंगे।

**LABOUR WELFARE AND INDUSTRIAL RELATIONS/  
LABOUR AND SOCIAL WELFARE/HUMAN RESOURCE MANAGEMENT**

**श्रम कल्याण एवं औद्योगिक सम्बन्ध / श्रम एवं समाज कल्याण / मानव संसाधन प्रबन्धन**

**PAPER – III**

**प्रश्न-पत्र – III**

**NOTE:** This paper is of two hundred (200) marks containing four (4) sections. Candidates are required to attempt the questions contained in these sections according to the detailed instructions given therein.

**नोट :** यह प्रश्नपत्र दो सौ (200) अंको का है एवं इसमें चार (4) खंड है। अभ्यर्थियों को इन में समाहित प्रश्नों का उत्तर अलग दिये गये विस्तृत निर्देशों के अनुसार देना है।

## SECTION - I

### खण्ड – I

**Note :** This section contains five (5) questions based on the following paragraph. Each question should be answered in about thirty (30) words and each carries five (5) marks.

(5x5=25 marks)

**नोट :** इस खंड में निम्नलिखित अनुच्छेद पर आधारित पाँच (5) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग तीस (30) शब्दों में अपेक्षित है। प्रत्येक प्रश्न पाँच (5) अंकों का है।

(5x5=25 अंक)

ABC manufacturing Co. Ltd. was founded in 1978 by Mr. Keshav after retirement from his military service. It was still family owned, had no union, and was conservatively and paternalistically managed. The company adapted to changes slowly, but it remained a profitable enterprise.

In 1992, the company sent five of its first line supervisors to a human relations training programme. But the liberal ideas with which the supervisors were indoctrinated made a negative impression on the company's top management. As a result, all supervisory training was conducted in-house after that. In 1999, labour problems and conflicts between the supervisors and the Human Resource Department led management to enroll the company's 15 supervisors in a five-day Executive Development Programme organised by a management consultancy firm. This change of policy was initiated by the new HRD Manager Mr. S. P. Singh. To avoid having too many supervisors away from the factory at once, three were sent to each monthly programme.

Mr. Dev, a young supervisor who had production engineering background, returned from the Executive Development Programme excited about what he had learnt especially about delegation of authority, giving employees the opportunity to assume the maximum possible responsibility and establishing channels of open communication with the employees. After the Friday afternoon session Mr. Dev discussed some of these ideas with his immediate superior Mr. Naresh Kumar. Both seemed genuinely pleased to learn that Mr. Dev felt he had benefited from the Executive Development Programme.

When Mr. Dev returned to work on Monday morning, he discovered that several quality control problems had to be dealt with, a report was due and several employees needed to talk with him about work schedule problems. It was Friday afternoon before he realised that he had not yet been able to take any of the ideas about which he had become so enthusiastic. By this time, the frustrations of the week had taken the edge off his enthusiasm, and he became preoccupied with the pleasant thought of a relaxed week end with his family. He felt that Monday morning would be a good time to begin with the new ideas.

ए.बी.सी. विनिर्माण क. लिमिटेड श्री. केशव द्वारा, फौजी सेवा से उनकी सेवा निवृत्ति के पश्चात् 1978 में स्थापित की गई थी। इस पर अभी भी परिवार का ही स्वामित्व है और यह परम्परागत रूप में एवं पैतृक व्यवस्था के रूप में संचालित होती है। कम्पनी ने परिवर्तनों को धीमे अपनाया परन्तु यह लाभदायी उद्यम बना रहा।

कम्पनी ने, वर्ष 1992 में, अपने प्रथम अधिक्रमीय पर्यवेक्षकों में से 5 को मानव सम्बन्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम के

लिये भेजा। परन्तु उदार विचारों, जिनमें उन्हें उपदेश दिया गया था, ने कम्पनी के शीर्षस्थ प्रबन्ध पर नकारात्मक प्रभाव डाला। परिणामस्वरूप, उसके पश्चात् समस्त पर्यवेक्षी प्रशिक्षण इन-हाउस आयोजित किया गया। वर्ष 1999 में, श्रम समस्याओं और पर्यवेक्षकों व मानव संसाधन विभाग के बीच संघर्ष के कारण प्रबन्धन को, कम्पनी के 15 पर्यवेक्षकों को, प्रबन्ध परामर्शदाता फर्म द्वारा आयोजित पांच दिवसीय कार्यपालक विकास कार्यक्रम में नामांकित करना पड़ा। नीति में यह परिवर्तन नये एच.आर.डी. मैनेजर, श्री एस.पी. सिंह द्वारा लाया गया। अत्याधिक तादाद में, पर्यवेक्षकों का कारखाने से एक साथ बाहर होने की स्थिति से बचने के लिये, तीन को हर मासिक कार्यक्रम में भेजा जाने लगा।

श्री. देव, एक युवा पर्यवेक्षक था, जिसकी पृष्ठभूमि उत्पादन इंजीनियरिंग की थी और जो कार्यपालक विकास कार्यक्रम से लौटा था, और जो कुछ उसने सीखा था उसके बारे में वह उत्तेजित था, विशेष रूप से, सत्ता सौंपने, कर्मचारियों को अधिकतम संभावित जिम्मेदारियां लेने के लिये अवसर देने और कर्मचारियों के साथ खुले सम्प्रेषण के चैनल स्थापित करने के बारे में।

शुक्रवार दोपहर के सत्र के बाद, श्री. देव ने अपने नजदीकी पर्यवेक्षक, नरेश कुमार के साथ इनमें से कुछ विचारों पर चर्चा की। दोनों यह जान कर यथार्थतः प्रसन्न दिखाई पड़े कि श्री. देव को लगता है कि वह प्रबन्ध विकास कार्य से लाभान्वित हुए हैं।

श्री. देव सोमवार की सुबह काम पर वापिस आया, उसने देखा कि गुणवत्ता नियन्त्रण की बहुत सी समस्याओं को निबटाना है। एक रिपोर्ट बनाना बाकी था और कई कर्मचारियों को उससे कार्य अनुसूची समस्याओं के बारे में बातचीत करने की जरूरत थी। शुक्रवार सुबह उसने अनुभव किया कि वह अभी तक उन विचारों को नहीं बता सका जिनके लिये वह इतना उत्साहित हो गया था। इस समय तक हफ्ते भर के नैराश्य ने उसके उत्साह को धार मार दी (कुंठित कर दिया), और वह अपने परिवार के साथ इतवार के आराम की सुखद सोच में खो गया। उसने महसूस किया कि सोमवार की सुबह नये विचार के साथ प्रारम्भ करने का अच्छा समय होगा।

**1. Outline the facts of the case and identify the main problem(s).**

उपर्युक्त केस के तथ्यों का संक्षेप में विवरण दीजिये और मुख्य समस्याएं बताइये।

2. What is the possibility that external training programme would change the behaviour of the concerned supervisors ?

इसकी क्या संभाविता है कि बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्बद्धित पर्यवेक्षकों का व्यवहार बदल देगा ?

3. What factors, in this organisation, function as deterrents to change ?

इस संगठन में कौन से कारक परिवर्तन के प्रतिरोधक के रूप में कार्य करते हैं ?

4. What, if any, Organisational Development interventions do you recommend in this situation ?

इस स्थिति में, आप कौन से संगठनात्मक विकास उपायों का सुझाव देना चाहेंगे ?

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

5. What steps do you recommend to stimulate lasting changes in supervisory behaviour ?

पर्यवेक्षण-विषयक व्यवहार में चिरकालीन परिवर्तन प्रोत्साहित करने के लिये आप किन सोपानों का सुझाव देंगे ?

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

SECTION - II

खण्ड - II

**Note :** This section contains fifteen (15) questions, each to be answered in about thirty (30) words. Each question carries five (5) marks.

(5x15=75 marks)

**नोट :** इस खंड में पाँच-पाँच (5-5) अंकों के पंद्रह (15) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग तीस (30) शब्दों में अपेक्षित है। प्रत्येक प्रश्न पाँच (5) अंकों का है।

(5x15=75 अंक)

6. Differentiate between policy and procedure.

नीति और कार्यप्रणाली(प्रोसीजर) के बीच अन्तर कीजिये।

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

7. What is systems approach to management ?

प्रबन्धन का 'सिस्टमस् एप्रोच' क्या है?

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

8. Discuss planning process.

नियोजन प्रक्रिया की चर्चा करिये।

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





11. What is 360 degree performance appraisal ? What are its limitations ?

360 डिग्री निष्पादन मूल्यांकन क्या है? उसकी सीमायें क्या हैं?

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

12. Explain Vroom's Vector Valence theory of motivation.

अभिप्रेरणा के सम्बद्ध में व्रूम के वेक्टर वैलेंस सिद्धान्त की व्याख्या करिये।

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

13. Write a note on the code of 'Discipline'.

अनुशासन संहिता पर नोट लिखिये।

14. Explain the meaning and objectives of trade unions.

श्रम संघों के अर्थ और उद्देश्यों की व्याख्या कीजिये।

15. Briefly explain Gandhian approach to trade unions.

श्रम संघों के गांधीवादी उपागम की संक्षेप में व्याख्या करिये।

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

16. Discuss the provisions relating to hours of work under the Factories Act, 1948.

कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत काम के घंटों के सम्बद्ध में प्रावधानों की चर्चा कीजिये।

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

17. Write the definition of 'Allocable Surplus', as given in the Payment of Bonus Act, 1965.

बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 में दी गई 'आवंटन योग्य अतिरेक' की परिभाषा लिखिये।

18. Define labour welfare and explain its scope.

श्रम कल्याण की व्याख्या करें और उसके परिक्षेत्र को स्पष्ट करिये।



## SECTION - III

### खण्ड – III

**Note :** This section contains five (5) questions from each of the electives / specialisations. The candidate has to choose only one elective / specialisation and answer all the five questions from it. Each question carries twelve (12) marks and is to be answered in about two hundred (200) words.

(12x5=60 marks)

**नोट :** इस खंड में प्रत्येक ऐच्छिक इकाई/विशेषज्ञता से पाँच (5) प्रश्न हैं। अभ्यर्थी को केवल एक ऐच्छिक इकाई/विशेषज्ञता को चुनकर उसी में से पाँचों प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न बारह (12) अंकों का है व उसका उत्तर लगभग दो सौ (200) शब्दों में अपेक्षित है।

(12x5=60 अंक)

### Elective - I

#### विकल्प – I

21. What should be the role of the Government in India in promoting harmonious industrial relations in the context of globalisation ?

वैश्वीकरण के सन्दर्भ में समरसपूर्ण औद्योगिक सम्बन्धों को प्रोत्त करने के लिये भारत में सरकार की भूमिका क्या होनी चाहिये ?

22. "Industrial conflicts in India are on the rise in spite of the Government's efforts to minimise the same". Discuss.

“भारत में औद्योगिक संघर्षों को कम करने के सरकार के प्रयत्नों के बावजूद वे बढ़ रहे हैं”। चर्चा करिये।

23. "Most of the schemes of workers' participation in management in India have proved ineffective in achieving the objectives for which they had been set up". Comment.

“भारत में, प्रबन्ध में कर्मचारियों की सहभागिता की अधिकांश योजनायें उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रभावहीन सिद्ध हुई हैं जिनके लिये वे बनाई गई थी”। टिप्पणी करें।

24. Critically examine the impact of the Indian Labour Conference on industrial relations in India.

भारत में औद्योगिक सम्बन्धों पर भारतीय श्रम सम्मेलन के प्रभाव की समीक्षात्मक जांच करिये।

25. Briefly state the main features of the industrial relations system of UK.

यू.के. की औद्योगिक सम्बन्ध प्रणाली की मुख्य विशेषतायें संक्षेप में बताइये।

OR / अथवा

Elective - II

विकल्प – II

21. "Training is the function of every line executive". Discuss.

प्रशिक्षण प्रत्येक अधिक्रमिय कार्यपालक (लाइन एक्सीक्युटिव) का कार्य है"। चर्चा कीजिये।

22. Explain Action - Research Model of Organisational Development.

संगठनात्मक विकास के 'एक्शन-रिसर्च मॉडल' की व्याख्या करिये।

23. What is the Total Quality Management ? Discuss its impact on productivity.

सम्पूर्ण गुणवत्ता प्रबन्धन क्या है? उत्पादकता पर उसके प्रभाव की चर्चा करिये।

24. Discuss the Human Resource problems in multinational companies and suggest solutions to those problems.

बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों में मानव संसाधन समस्याओं की चर्चा कीजिये और उन समस्याओं के समाधान बताइये।

25. "Downsizing and right - sizing have become a routine affair in organisations". Comment.

"डाऊनसाइजिंग और राईट-साइजिंग संगठनों में नियमित कार्य-कलाप बन गया है"। टिप्पणी कीजिये।

OR / अथवा



**Elective - III**

**विकल्प – III**

21. Briefly discuss the principles of labour legislation in India.

भारत में श्रम कानून (विधान) के सिद्धान्तों की संक्षेप में चर्चा करिये।

22. Discuss the impact of Indian Constitution on Labour Laws in India.

भारत में श्रम कानूनों पर भारतीय संविधान के प्रभाव की चर्चा करिये।

23. Outline the history of Labour Legislation in India before Independence.

भारत में स्वतन्त्रता पूर्व बने श्रम कानूनों (विधान) के इतिहास की रूपरेखा दीजिये।

24. "Labour Legislation in India needs drastic change in the context of globalization".  
Comment.

“वैश्वीकरण के सन्दर्भ में, भारत में श्रम विधान (कानून) में सशक्त परिवर्तन की आवश्यकता है”। चर्चा करें।

25. Briefly discuss the role of state in implementation of Labour Laws in India.

भारत में श्रम कानूनों को लागू करने में राज्य की भूमिका की संक्षेप में चर्चा करिये।



























## SECTION - IV

### खण्ड – IV

**Note :** This section consists of one essay type question of forty (40) marks to be answered in about one thousand (1000) words on any of the following topics.

(40x1=40 marks)

**नोट :** इस खंड में एक चालीस (40) अंकों का निबन्धात्मक प्रश्न है जिसका उत्तर निम्नलिखित विषयों में से केवल एक पर, लगभग एक हजार (1000) शब्दों में अपेक्षित है।

(40x1=40 अंक)

26. "In recent years the power of trade unions has been declining in India". What should be the strategies of the unions to strengthen the trade union movement ?

“हाल ही के वर्षों में, भारत में श्रम संघों की शक्ति कम हो रही है”। श्रम संघ आन्दोलन को सुदृढ़ करने के लिये संघों की रणनीति क्या होनी चाहिये ?

OR / अथवा

Critically examine the impact of liberalisation, privatisation and globalisation on HRM functions.

एच.आर.एम. कार्यो पर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के प्रभाव की समीक्षात्मक जांच करें।

OR / अथवा

The Indian constitution contains provisions which have a direct bearing on the course of development of Labour Legislation in India. Critically examine how far the legislations in India enacted after Independence have fulfilled the constitutional obligations.

भारतीय संविधान में प्रावधान है जिनका भारत में श्रम विधान के विकास के दौर पर सीधे प्रभाव पड़ता है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बने कानूनों ने संवैधानिक दायित्वों को कहां तक पूरा किया, इसकी आलोचनात्मक जांच कीजिये।





















FOR OFFICE USE ONLY							
Marks Obtained							
Question Number	Marks Obtained	Question Number	Marks Obtained	Question Number	Marks Obtained	Question Number	Marks Obtained
1		26		51		76	
2		27		52		77	
3		28		53		78	
4		29		54		79	
5		30		55		80	
6		31		56		81	
7		32		57		82	
8		33		58		83	
9		34		59		84	
10		35		60		85	
11		36		61		86	
12		37		62		87	
13		38		63		88	
14		39		64		89	
15		40		65		90	
16		41		66		91	
17		42		67		92	
18		43		68		93	
19		44		69		94	
20		45		70		95	
21		46		71		96	
22		47		72		97	
23		48		73		98	
24		49		74		99	
25		50		75		100	

Total Marks Obtained (in words) .....

(in figures) .....

Signature & Name of the Coordinator .....

(Evaluation) Date .....